रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022023-243900
CG-DL-E-24022023-243900

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 837]	नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 24, 2023/फाल्गुन 5, 1944
No. 837]	NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 24, 2023/PHALGUNA 5, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 2023

का.आ. 871(अ).—यतः, मै॰ वी. आर. इंटरप्राइजेज ने तेलंगाना (भूतपूर्व आंध्र प्रदेश) राज्य के वारंगल जिले के हसनपार्थी मंडल, अनंतसागर गाँव में एक आईटी/आईटीईएस के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियमावली 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1560(अ) दिनांक 17 सितंबर, 2007 द्वारा उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन में 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था;

और यतः, मै॰ वी. आर. इंटरप्राइजेज ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 10.12 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तेलंगाना सरकार ने उनके पत्र स. 1371/आईटी-सी/प्रोम2/2006 दिनांक 02 मार्च, 2022 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है। इसके अलावा, अनधिसुचित भूमि का उपयोग तेलंगाना सरकार के भूमि उपयोग-दिशानिर्देशों/मास्टर प्लान के अनुसार किया जाएगा;

और यतः, विकास आयुक्त, विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक जोन ने उक्त विशेष आर्थिक जोन के 10.12 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

अतः अब केन्द्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है।

[फा. सं. एफ.2/641/2006-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 2023

S.O. 871(E).—WHEREAS, M/s. V. R. Enterprises had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for IT/ITES Sector at Ananthasagar Village, Hasanparthy Mandal, Warangal District in the State of Telangana (erstwhile Andhra Pradesh);

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had notified an area of 10.12 hectares at above Special Economic Zone vide Ministry of Commerce and Industry Notification number S.O. 1560(E) dated 17th September, 2007;

AND, WHEREAS, M/s. V. R. Enterprises has now proposed to de-notify the entire area of 10.12 hectares of the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Telangana has given No Objection Certificate to the proposal vide letter No. 1371/IT&C/Prom2/2006 dated 02nd March, 2022. Further, the de-notified land will be utilized as per the Land Use-Guidelines/Master plans of the Government of Telangana;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Visakhapatnam Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of entire area of 10.12 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F.2/641/2006-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA